

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्तशासी संस्था)

वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन - 456006 (म.प्र.)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan

(An autonomous organisation under Ministry of Education, Govt. of India)
Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

पत्र सं. 26-5/2022(शै.)/मसारावेविप्र/

दिनांक 23-10-2022

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान से सम्बद्ध

राष्ट्रीय आदर्श वेदविद्यालय, उज्जैन

शैक्षणिक (सहयोगी विषय) सेवा हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रण अधिसूचना

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति अनुसार महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान चिन्तामण गणेश मार्ग पो. जवासिया उज्जैन (म.प्र.) द्वारा सत्र 2018-19 से प्रतिष्ठान परिसर, उज्जैन में राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय संचालित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, उज्जैन वेद की सभी शाखाओं एवं आधुनिक विषयों का अध्ययन कराया जा रहा है।

NEP 2020 के शैक्षिक संरचना को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, उज्जैन में वेदविभूषण- प्रथम एवं द्वितीय वर्ष (11th and 12th - equivalent - समकक्ष) का अध्ययन कराया जा रहा है। परीक्षा हेतु राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय "महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदसंस्कृत शिक्षा बोर्ड" से संबद्ध रहेगी।

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन परिसर में संचालित राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय में वर्ष 2022-23 हेतु सहयोगी शैक्षणिक व्यवस्था के लिए संविदा के आधार पर निम्नलिखित सेवाओं के नियोजन हेतु योग उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जा रहे हैं।

ये सेवाएं तात्कालिक संविदा के आधार पर ही होंगी। यह पद आधारित सेवा नहीं है।

राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, उज्जैन के लिए आवेदन करने एवं चयनित होने पर प्रतिष्ठान द्वारा देश के पांच राज्यों में संविदा के आधार पर (I) पुरी (ओडिशा) (II) शृंगेरि (कर्णाटक) (III) द्वारका (गुजरात) (IV) बद्रीनाथ (उत्तराखण्ड) (V) गुवाहाटी (असम) में संचालित "राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालयों" में स्थानान्तरण किया जा सकता है।

सहयोगी शैक्षणिक-

वेद की मौखिक परम्परा के अनुसार वेद का सस्वर अध्ययन एवं संपूर्ण वेद शाखा को कण्ठस्थ किये हुए वेद विषय के उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं।

शैक्षणिक सहयोगी विषय योग्यता, मानदेय राशि, अनुभव, नियम एवं शर्तें, आवेदन पत्र का प्रारूप प्रतिष्ठान की वेबसाइट www.msrvvp.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर सभी संलग्नकों के साथ स्पीड पोस्ट से प्रतिष्ठान को प्रेषित करें। प्रतिष्ठान कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 15 नवम्बर, 2022 है।

 1

शैक्षणिक सहयोगी विषय - (*आवश्यकता के अनुसार)

क्र.	विषय	संख्या	कुल स्थान	आयु सीमा	प्रतिमाह अधिकतम मानदेय
1	संस्कृत	1	1	न्यूनतम 25 वर्ष तथा अधिकतम 55 वर्ष	45,000/-
2	खेल अनुदेशक	1	1	न्यूनतम 25 वर्ष तथा अधिकतम 55 वर्ष	30,000/-
	कुल	1	1		

नोट :- उक्त मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता प्रदान नहीं किया जायेगा। शासन निर्दिष्ट टैक्स /टी.डी.एस. देय होगा।

*पद आधारित सेवा नहीं है।

(I) संस्कृत अध्यापक के लिये आवश्यक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय स्नातक स्तर में 55 प्रतिशत तथा संस्कृत विषय स्नातकोत्तर उपाधि में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हो अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत /शास्त्र विषय शास्त्री में 55 प्रतिशत तथा संस्कृत /शास्त्र विषय आचार्य में 55 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हो।
- शिक्षा शास्त्री/ बी.एड

वांछनीय योग्यता -

- संस्कृत भाषा एवं विषय के अतिरिक्त कम्प्यूटर/वेद गणित/ किसी अन्य विषय को पढ़ाने की योग्यता।
- संस्कृत भाषा में टेट (TET) परीक्षा में उत्तीर्ण।
- किसी विद्यालय में संस्कृत सम्भाषण/भगवद्-गीता/अमरकोश/शब्दरूप/धातुरूप आदि सिखाने का अच्छा अनुभव।
- संस्कृत संभाषण एवं सरल मानक संस्कृत में दक्षता।

(II) खेल अनुदेशक के लिए आवश्यक योग्यता

- शारीरिक शिक्षा में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
- किसी भी विद्यालय में 3 वर्ष का खेल-खूद अध्यापक का अच्छा अनुभव।


वांछनीय योग्यता

- योग / संस्कृत भाषा / वेद का अध्ययन किया हो।
- शारीरिक शिक्षा में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हो।
- संस्कृत संभाषण एवं सरल मानक संस्कृत में दक्षता।

 2

राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय की विभिन्न व्यवस्थाएँ एवं नियम व शर्तें -

1. राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय में अध्यापकों की नियोजन पूरी तरह से अस्थायी संविदा के आधार पर होगी, कभी भी स्थायी नियुक्ति या पदों का सृजन नहीं होगी। अध्यापकों को प्रतिष्ठान के वेद अनुसन्धान, वेद अनुसन्धान आलेख रचना, वेदों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद, वैदिक प्रशिक्षण, वेद मुद्रण प्रूफ शोधन, वेद सभा, सम्मेलन, संगोष्ठी सहित अन्य शैक्षिक कार्य भी अध्यापक के कर्तव्य में अन्तर्गत है। वेद विद्यालय के अलावा छात्रावास की सभी व्यवस्था, छात्रों को अनुशासन में रखना, समय-सारणी का पालन करना अध्यापकों के दायित्व रहेंगे। प्रतिष्ठान के विवेकानुसार एवं आवश्यकता को देखते हुए प्रतिष्ठान अन्तर्गत अन्यत्र राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय में स्थानान्तरण किया जा सकता है।
2. संस्कृत, हिन्दी एवं अंग्रेजी में उच्च गुणवत्ता के साथ पढ़ाने की पूरी क्षमता होनी चाहिये।
3. वेद विद्यालय में वेद की मौखिक परम्परा के साथ साथ, ब्राह्मण, आरण्यक, वेदाङ्गों एवं अन्य आधुनिक विषयों का भी अध्ययन कराया जायेगा।
4. अध्यापकों को परीक्षा संचालन सम्बन्धी कार्यों का निर्वहन करना होगा। उच्च सत्यनिष्ठता का पालन अनिवार्य है।
5. चयनित सहयोगी विषय के अध्यापकों को पाठ्यक्रम एवं पुस्तक संकलन के दायित्व का भी निर्वहन करना होगा। ICT की दक्षता होनी चाहिए।
6. प्रत्येक विषय में छात्र उपलब्ध होने पर ही अन्तिम नियोजन होगा एवं चयन होने पर यह शर्त लागू होगा।
7. सभी राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय वेद विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय है।
8. विद्यालय का जीवन उच्च अनुशासित, पारम्परिक तथा वैदिक संस्कृति और वैदिक ज्ञान पर आधारित होगा।
9. विद्यालय के अध्यापक एवं छात्रों को पारम्परिक वेश भूषा में रहना होगा। सभी अध्यापक (वेद एवं अन्य विषय के) को वैदिक वेश भूषा में रहना अनिवार्य है। (पुरुष के लिए धोती-कच्छ धारण, महिला के लिए- साडी एवं ब्लाउज ही होगी)
10. अध्यापकों एवं छात्रों का आचरण वैदिक परम्परा एवं शिष्टता अनुसार होगा, अन्यथा आचरण होने पर दण्डात्मक कार्यवाही होगी।
11. वेद विद्यालय के छात्रावास एवं विद्यालय में किसी भी प्रकार के आधुनिक गेजेट-मोबाईल आदि उपयोग नहीं होगा। छात्रावास में, विद्यालय में, कक्षा में या स्वयं के मोबाईल उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
12. अध्यापकों को पूर्ण कम्प्यूटर-साक्षरता एवं कार्यक्षमता अनिवार्य है।
13. प्रत्येक अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी को 100 रूपये के स्टॉप पेपर पर सेवा शपथ पत्र देना होगा।



14. उपयुक्त पाये जाने पर, चयन समिति के विवेकाधिकार पर योग्यता, वयोमति एवं अनुभव में शिथिलता दी जा सकती है। चयन समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।
15. वेद विद्यालय के सभी तरह के व्यवस्था में सचिव, म.सां रा. वे.वि.प्र., उज्जैन के आदेश मान्य होंगे।
16. उपर्युक्त सेवाओं सम्बन्धी प्रक्रिया को स्वीकृत करना, अस्वीकृत करना या अंशतः निरस्त करना या पुनः आमंत्रित करने का अधिकार प्रतिष्ठान सचिव के अधीन रहेगा। इसमें किसी प्रकार का वाद/विवाद /पत्राचार आदि मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद की स्थिति में न्याय अधिकार क्षेत्र मध्यप्रदेश माननीय उच्च न्यायालय, इन्दौर पीठ ही होगा।
कोविड-19 एवं छात्र संख्या या अन्य किन्हीं कारणों को ध्यान में रखकर यह चयन/नियुक्ति प्रक्रिया पूर्णतः/अंशतः निरस्त की जा सकती है।


सचिव

म.प्र.वि.वे.रा.सां., उज्जैन